राजस्थान सरकार
निदेशालय बाल अधिकारिता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 ए. अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

क्रमांक : एफ 14 (2)( ) आर.एस.सी.पी.एस./आई.सी.पी.एस./नि.बा.अ./13/1111 जयपुर, दिनांक: 01/05/2013

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी ''पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007''अन्तर्गत विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या 433 दिनांक 26.04.2013 द्वारा पालनहार योजना में जोड़ी गई नवीन श्रेणियों में परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला की परिभाषा निम्नानुसार होगी।

नियम संख्या 2 – परिभाषा के उपनियम संख्या 7 के बाद उपनियम संख्या 8 के नीचे निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है।

''स्पष्टीकरणः– उक्त प्रयोजन हेतु ''परित्यक्ता'' से अभिप्रेत हैः–

(क) समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह महिलाएं जिनके पास विवाह–विच्छेद डिक्री हो,

(ख) समस्त वैध रूप अलग हुई महिलाएं, जिनके पास न्यायालय आदेश हो,

(ग) ऐसी समस्त महिलाएं, जिनके विवाह विच्छेद या दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में पॉच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हों और जिसके पास न्यायालय दस्तावेज हों।

(घ) ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वय के शपथ–पत्र एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(ड.) ''ऐसी महिलाएं'' जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही है, एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है''

ग्रामीण क्षेत्र की उक्त परित्यक्ता महिलाओं को, सरपंच, ग्राम सचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका प्रतिनिधि अधिकारी एवं वार्ड मेम्बर/वार्ड पार्षद एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के द्वारा परित्यक्ता का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला के बच्चों को पालनहार योजना में लाभान्वित करते समय प्रति वर्ष इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वह अपने पति से गत् 3 वर्ष से अधिक समय से अलग रह रही है एवं पति से कोई संबंध नहीं है।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ 14 (2)( ) आर.एस.सी.पी.एस. / आई.सी.पी.एस. / नि.बा.अ. / 13 / 1112-1269 / 5 / जयपुर, दिनांक: 01/07/2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, लेखा व हक, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य / प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग / सान्याअवि / चिकित्सा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
5. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय–।।) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर..।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्..।
8. मुख्य लेखाधिकारी / संयुक्त निदेशक (आयोजना) मुख्यावास।
9. सहायक निदेशक, प्रचार–प्रसार एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर को वास्ते उचित प्रचार–प्रसार।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय ....।
11. जिला बालक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग................................।
12. उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..।
13. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह / सम्प्रेक्षण गृह / सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह / बालिका गृह / अपचारी बालिका गृह / विशेष गृह / शिशु गृह, सान्याअवि ....।
14. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Laptop/D/DCR Office Work/Letters